में १ जनवरी, १९४७ से पूर्व वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश कार्यान्वित कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मुख्याध्यापकों के वेतन-मानों के विषय में, वेतन आयोग ने पहली जनवरी, १९४७ से पहले अपनी कोई सिफारिश नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

Schools in Andamans

776 Shri L. Elayaperumal: Will the Minister of **Education and Scientific Research** be pleased to state:

(a) the number of single teacher schools which have been started in Andamans up-to-date, and

(b) how many of them are still functioning?

The Minister of State in the Ministry of Education and Scientific Research (Dr K L Shrimali): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha in due course

दिल्ली में ग्राम पंचायतों के चुनाव

७७७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के चुनाव कब तक हो जाने की आशा है ;

(ख) ये पंचायतें कब तक कार्य करना आरम्भ कर देंगी ;

(ग) पंचायतों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) इन पंचायतों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) पंचायतों के चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं क्योंकि वोट देने वालों की योग्यताओं से सम्बन्धित दिल्ली पंचायत राज एक्ट १९५४ की ९वीं धारा और दिल्ली भूमि सुधार एक्ट १९५४ की १५१वीं धारा में परस्पर विरोध है । दोनों एक्टों में अनुरूपता लाने के लिये इन में संशोधन करने का निश्चय किया गया है । इस के लिये संसद के इसी अधिवेशन में आवश्यक विधान प्रस्तुत करने का विचार है ।

(घ) दिल्ली पंचायत राज ऐक्ट १९५४ में अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित स्थान रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

गणतंत्र दिवस समारोह

७७८ { **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री अमर सिंह डामर :
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री वाजपेयी :
श्री मधुसूदन राव : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी हुई हो :

(क) भारत सरकार द्वारा १९५१ से १९५८ तक (वर्षवार) गणराज्य दिवस के मनाने पर (मुख्य मदों के अनुसार) कितना खर्च किया गया ,

(ख) इस वर्ष गणराज्य दिवस के समारोह पर सैनिक परेड और सांस्कृतिक झांकियों को देखने के लिये दर्शकों को कितने पास दिये गये ; और

(ग) क्या इस वर्ष समारोह के कार्यक्रम में कोई नई चीज सम्मिलित की गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री कर्नेलसिंह राव गायकवाड़) : (क) १९५१ के १९५७ तक की सूचना सम्बन्धी एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १०] १९५८ का हिसाब किताब अभी तक तैयार नहीं है।

(ख) ३३२६२ व्यक्तियों के लिये कुल १८५८६ निमन्त्रण-पत्र जारी किये गये थे। निमन्त्रितों में लगभग ४००० विदेशी थे, जैसे कि राजदूत, यात्रिक, आने वाले प्रतिनिधि मण्डलों के सदस्य, इत्यादि और लगभग इतनी संख्या में आने वाले थे दिल्ली के बाहर के लोग।

(ग) गण राज्य दिवस उत्सव के कार्यक्रम में इस वर्ष कोई नया मद प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि परेड और सांस्कृतिक झाकियों में कुछ परिवर्तन अवश्य किये गए थे, उदाहरणतः राष्ट्रपति के राजयान द्वारा स्लूटिंग स्थान की ओर प्रस्थान करने से पहले दो हेलीकाप्टर राजपथ के साथ दर्शकों के ऊपर ऊपर उड़े, देहरादून सैनिक कालेज, सामुद्रिक छात्र दल और प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सुरक्षादल के अंशदल परेड में पहली बार सम्मिलित किये गये थे।

बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति

७७९. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) १९४७ के बाद से अनुसूचित जातियों के अनुमानतः कितने व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म का अपना लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि लखनऊ में हुई अखिल भारतीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म अपनाने वाले अनुसूचित जातियों के ५० हजार से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(घ) १९५७-५८ के बजट में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये क्या उपबन्ध किया गया है, और

(ङ) उसमें से अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) लगभग ११,५९,००० ।

(ख) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) २९० २७ लाख रुपये ।

(ङ) यह नहीं मालूम कि वास्तव में कितनी रकम खर्च हुई है। फिर भी, १९५७-५८ में अब तक २८० ३२ लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

आदिम जातीय जनसंख्या

७८०. श्री मोहन स्वरूप : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भातू, सासिया और कंजर आदिमजातियों की राज्यवार कितनी जनसंख्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : १९५१ की जन गणना में हर एक जाति या आदिम जाति की गणना अलग अलग नहीं की गई थी। जातियों के कुछ विशेष ग्रुप जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और ऐंगलो इंडियनों में से भी हर जाति या आदिम जाति के लोगों की गणना अलग अलग नहीं की गई थी। इसलिये भातू, सासिया और कंजर आदिम जातियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।